

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक: प.2(7) आयो/गुप-2/2012/2290


जयपुर, दिनांक: 01.07.2024

आज्ञा

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणन प्राप्त करने एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन प्रमाणनशुदा संगठनों में से ही करने की बाध्यता एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से




(निशिन जैन)

शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. उप शासन सचिव (एच.एन.), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव,
आयोजना